

लक्ष्मण सिंह बनाम श्री गुरुद्वारा साहिब 58 एफ
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी
 प्रकरण संख्या 03 सन् 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/11

तामिल
 हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

12.06.2025

अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि वादी श्री गुरुद्वारा साहिब 58 एफ द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022, अनवान श्री गुरुद्वारा साहिब 58 एफ बनाम राजस्थान सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 10.10.2024 में वादगत भूमि पर मुझ प्रार्थी का कब्जा होने के बावजूद भी पक्षकार संयोजित किए बिना, राजस्थान सरकार के अलावा हरखासआम को पक्षकार संयोजित करते हुए, हरखास आम का नोटिस समाचार पत्र दैनिक भोर में प्रकाशित करवाकर, न्यायालय को गुमराह कर एकतरफा अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया गया है। प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र मेहर सिंह, मृतक गुरदत सिंह की पुत्री राम कौर का इकलौता पुत्र है तथा इस नाते वह गुरदित का विधिक वारिस है। वादगत भूमि के सम्बन्ध में गुरदित सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.09.1987 को एक वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की थी। गुरदित सिंह का देहान्त दिनांक 17.10.1984 को हो चुका है। गुरदित सिंह के देहान्त हो जाने से उक्त वसीयत लागू हो चुकी है तथा वादगत भूमि प्रार्थी का न्यागत हो चुकी है। इस भूमि पर गुरदत सिंह के जीवनकाल तक गुरदित सिंह का तथा उसके देहान्त उपरान्त मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। आज भी मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त है। लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर प्रार्थी को उक्त वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022, अनवान श्री गुरुद्वारा साहिब 58 एफ बनाम राजस्थान सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पारित निर्णय दिनांक 10.10.2024 को अपास्त कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के कब्जाधीन नहीं है और ना ही प्रार्थी गांव 58 एफ में रहकर भूमि काश्त करवाता है। हरखास आम की तली के लिए तमाम कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी। हरखास व आम को दावे के बाबत सूचित करने के लिए गांव के गुरुद्वारा व सार्वजनिक स्थल पर नोटिस चस्पा किए गए और अखबार में छाया करवाया गया, परन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। क्योंकि



[Signature]
 सहायक क्लर्क एवं फाइल
 उम्मेदवार अधिकारी
 श्रीकृष्णपुर (श्रीमानपुर)

